

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(26)/छात्र.पो./विशेष अभियान/सान्याअवि/2020-21/4009

दिनांक:- 19.09.2022

आदेश

अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर केन्द्रिय सहायता राशि विद्यार्थियों को डीबीटी किये जाने हेतु डाटा भारत सरकार को दिनांक 30 जून, 2022 तक साझा किया गया था किन्तु विद्यार्थी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति, शिक्षण संस्थान के स्तर पर अग्रेषित किये जाने एवं विभागीय जिला कार्यालयों में सत्यापन से लम्बित प्रदर्शित आवेदन पत्रों की अधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथि में वृद्धि कर पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थानों को आक्षेपपूर्ति कर आवेदन विभाग को अग्रेषित किये जाने हेतु प्रेसनोट, एसएमएस, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सूचित किया गया।

अतः उक्तानुसार आक्षेपपूर्ति के पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी आक्षेपित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान के माध्यम से विभागीय जिला कार्यालयों को अग्रेषित नहीं किये जाने के कारण पोर्टल से हटाया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(26)छात्रवृत्ति/सान्याअवि/पोर्टल/विशेष अभियान/2020-21/4010-25 दिनांक 19.09.2022

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
5. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
6. वित्तीय सहायक, मुख्यावास।
7. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
9. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
10. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
11. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
12. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।

13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करवाये एवं

उक्तानुसार आवेदनों को पोर्टल से हटाते हुए अभ्यर्थियों का डाटा सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में पुनर्विचार करने पर पुनः प्रक्रिया में लाया जा सके।

14. उप/सहायक निदेशक (समस्त) को सूचनार्थ।

15. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

16. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)